TWO RUPEES TWO RUPEES TWO RUPEES

ONE RUPEE

289
08/5/13
7.00
4

नकल आदेश दिनांक- 04-05-13 मु०नं० 04/2012- धारा-143 ज०वि०अधि० मौजा-ससनाबहादुरपुर परगना-सिकन्दरपुर ग़र्बी तहसील-बेल्थरारोड स्व० केशवप्रसाद महाविद्यालय प्रबन्धिका अंजू सिंह बनाम हल्का लेखपाल न्यायालय उपजिलाधिकारी बेल्थरारोड जनपद-बलिया तारीख 04-05-13।

नोट:- नकल साथ में आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

महानिदेशक
जय संत पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम-ससना बहादुरपुर, पो०अखोप बलिया(उ०प्र०)

न्यायालय उपजिलाधिकारी बेल्थरा रोड,बलिया।

वाद संख्या–04 / 12–12–2012

धारा–143 ज०वि० अधि०
मौजा–ससना बहादुरपुर
परगना–सिकन्दरपुरगर्वी

स्व0केशव प्रसाद महाविद्यालय
प्रबन्धिका अंजू सिंह

बनाम

हल्का लेखपाल

निर्णय

प्रस्तुत वाद स्व0केशव प्रसाद महाविद्यालय ससनाबहादुरपुर बलिया के प्रबन्धिका द्वारा श्रीमती अन्जू सिंह ने दाखिल कर निवेदन किया है कि आराजी तफसील जैल नम्बरी 447मि0 रकबा 1.011हे0भूमि इनकी भूमिधरी की आराजी है जिसमें मौके पर भवन निर्माण होकर उसमे महाविद्यालय चलता है तथा बच्चों का पठन–पाठन होता है। उक्त आराजी वर्तमान समय मे कृषि उपयोग मे नही लायी जा रही है। बल्कि पूर्ण रूप से स्कूल भवन का निर्माण होने से मौके पर आबादी की शक्ल मे है मुताबिक मौका व असलियत के उक्त भूमि की आबादी घोषित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है आदि अन्त में उन्होने निवेदन किया है कि तहसील से रिपोर्ट तलब कर उक्त भूमि को आबादी घोषित करने की कृपा की जाय ।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर तहसील से नियम–135(1) के तहत प्रोफार्मा में नक्शा नजरी के साथ रिपोर्ट तलब की गयी जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही प्रस्तुत की गयी है।

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली व उस पर प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व रिपोर्ट का अवलोकन किया, तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.01.2013 मे स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि उक्त नम्बर स्वर्गीय केशव प्रसाद महाविद्यालय ससनाबहादुरपुर के प्रबन्धिका श्रीमती अन्जू सिंह पत्नी इन्द्र प्रताप के नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज है उक्त आराजियात मे महाविद्यालय लगभग 5 वर्षो से पक्की दो मंजिला इमारत बनाकर लगातार चल रहा है जिसे आबादी श्रेणी–6(2) कायम किया जा सकता है। वादी के अधिवक्ता के कथन को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूमि मे कृषि कार्य नही होता है फलस्वरूप इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

अतः तहसीलदार बेल्थरा रोड की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2013 को स्वीकार करते हुए हुए मौजा ससना बहादुरपुर के खाता संख्या 393 आराजी नं0 447 मि0 रकबा 1.011 हे0 अर्थात 10110 वर्गमीटर मालगुजारी रू0 12.50 जो स्व0केशव प्रसाद महाविद्यालय ससना बहादुरपुर बेल्थरारोड,बलिया द्वारा प्रबन्धिका अन्जू सिंह के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है को 143उ0प्र0ज0वि0एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे रुपये 12.50 के मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक–

04/5/13
(मुनव्वर अली)
उपजिलाधिकारी
बेल्थरा रोड,बलिया

नकल नवीस – R
मिलान कर्ता – R
क्रम संख्या – 1455

08-05-13
09-05-13
09-05-13
7-07

महानिदेशक
जय संत पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम–ससना बहादुरपुर पो०अखोप बलिया(उ०प्र०)